आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.20(101) आयो./आकाशि/ 2014-15/ AISHE/ 1590 दिनांक 15/2/2019

स्मरण पत्र-3

समस्त प्राचार्य
राजकीय/ निजी / बीएड महाविद्यालय
राजस्थान

विषय : **AISHE 2018-19 के लिए DCF-II अपलोड करने की दिनांक 14.2.2019 से बढ़ा कर 28.2.19 करने बाबत ।**
सन्दर्भ : समसंख्यक पत्र क्रमांक 1553 दिनांक 5.12.18, क्रमांक 1563 दिनांक 4.1.2019 एवं क्रमांक 1579 दिनांक 4.2.19

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम लेख है कि आपको **AISHE 2018-19 के लिए DCF-II दिनांक 14.2.2019 तक अपलोड करने हेतु** निर्देशित किया गया था। इस क्रम में अभी भी केवल 52% सम्बद्धक महाविद्यालयों के DCF-II अपलोड हुए हैं, इस हेतु **अंतिम तिथि 28.2.19** की जाती है ।

विभाग के आदेश क्रमांक F4(20)CCE/PI/2018/75, दिनांक 30.7.18 के द्वारा नामित समस्त नोडल राजकीय महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने अधीन **सामान्य निजी महाविद्यालयों व बीएड महाविद्यालयों** को अपने स्तर पर **दूरभाष/SMS** पर उन्हें निरंतर सूचित करते हुए अंतिम तिथि से पूर्व DCF-II अपलोड करने हेतु निर्देशित करें। DCF-II अपलोड करने में यदि निजी महाविद्यालयों/ बी.एड. महाविद्यालयों को तकनीकी सहायता आवश्यक हो तो उन्हें महाविद्यालय में यह सहायता उपलब्ध करवाते हुए उस महाविद्यालय का DCF-II अपलोड संपन्न करवाने का श्रम करें । **इस सम्बन्ध में महाविद्यालय से पत्र व्यवहार करते समय अपने महाविद्यालय के AISHE नोडल अधिकारी का मोबाइल नंबर भी निजी/बीएड महाविद्यालयों को सूचित करें जिससे यह कार्य निर्धारित तिथि तक पूर्ण हो सके।**

समस्त निजी महाविद्यालयों की राज्य सरकार की NOC नीति अनुसार DCF-II अपलोड करना अनिवार्य किया जा चुका है। निजी महाविद्यालय अपने नोडल राजकीय महाविद्यालय से तकनीकी मदद के लिए विभागीय आदेश क्रमांक F4(20)CCE/PI/2018/75, दिनांक 30.7.18 का अवलोकन कर लें । (ये पत्र विभागीय वेबसाइट पर सम्बंधित तिथि पर उपलब्ध है।). उक्तानुसार नोडल राजकीय महाविद्यालय से मदद लेते हुए अपना DCF-II **28.2.19** तक अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें ।

इस कार्य को निर्धारित तिथि तक पूर्ण करवाने की समस्त जिम्मेदारी प्राचार्य एवं नोडल अधिकारी की होगी ।

इस संबंध में सम्पूर्ण जानकारी व गाइडलाइन्स AISHE पोर्टल http://aishe.nic.in/aishe/surveyguideline पर उपलब्ध हैं । इसी क्रम में अन्य जानकारी एवं सहायता हेतु 0141-2706106 पर डॉ. पंकज माथुर/श्री बनफूल अग्रवाल से कार्यालय समय में संपर्क किया जा सकता है।

(प्रदीप कुमार बोरड, IAS)
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव-उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि :

1. डॉ. अर्चना शुक्ला, डिप्टी डायरेक्टर, MHRD, नई दिल्ली ।
2. संयुक्त निदेशक (निजी संस्थाएं),पृथक से निजी महाविद्यालयों को निर्धारित तिथि तक DCF-II अपलोड करवाने हेतु निजी महाविद्यालय की नीति अनुसार निर्देशित करवाना सुनिश्चित करें।
3. समस्त सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय को भेज कर लेख है कि वे अपने क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों/निजी महाविद्यालयों को जागरूक करें व DCF-II अपलोड करने हेतु निर्देशित करें।
4. समस्त नोडल राजकीय महाविद्यालयों को भेज कर लेख है कि वे निजी व बीएड महाविद्यालयों से संपर्क कर DCF-II अपलोड करवाना सुनिश्चित करें ।
5. **समस्त OIC, राजकीय महाविद्यालय समूह, आकाशि को भेज कर लेख है कि वे अपने राजकीय महाविद्यालयों को आदेशानुसार AISHE के DCF-II को निर्धारित तिथि तक अपलोड करने हेतु सूचित करें ।**
6. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

आयुक्त कॉलेज शिक्षा